झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 04 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

DISPOSED
19/04/23.

अपीलकर्त्ता श्री सुभाष राय एवं अन्य,
बजरंग बलि मंदिर के नजदिक,
पो०- राढणी, राजासार, जि०-देवघर

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
देवघर।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं० 04/2023.

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
10.02.2023	परिवादी श्री सुभाष राम एवं अन्य, बजरंग बलि मंदिर के नजदिक, पोस्ट–रोहणी, राजासार, जिला–देवघर का परिवाद पत्र दिनांक–06.02.2023 को आयोग द्वारा जारी किये गये व्हाटसएप्प पर प्राप्त हुआ। परिवादी द्वारा PDS वितरक इन्दु स्वयं सहायता समूह, पंचायत–राजासार, प्रखण्ड–घरवाडी, देवघर के विरूद्ध माह सितम्बर, 2022 में PMGKAY का राशन नहीं दिये जाने एवं लाभुकों से ई–पॉस मशीन में गड़बड़ी बताकर PDS वितरक द्वारा राशन की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया गया है। यह भी कि उक्त मामले में पणन पदाधिकारी के कार्यालय में एवं जिला आपूर्ति कार्यालय में लिखित आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उक्त से संबंधित परिवाद पत्र पूर्व में भी दिनांक–15.12.2022 को आयोग को प्राप्त हुआ था, जिसपर कार्रवाई हेतु इसे आयोग के पत्रांक–WA/530/2022 दिनांक–19.12.2022 द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर को भेजी गयी थी। कृत कार्रवाई की सूचना अप्राप्त रही। अतः उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर को प्रतिवादी बनाते हुए उक्त मामले में सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–14.03.2023 को निर्धारित की जाती है। उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–14.03.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। 10.2.23 **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। 13/02/2023 **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\PC-06\Dropbox\An...\आदेश.docx85

(2)

वाद सं0. 04/2023.

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
14.03.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर उपस्थित। आज कीं सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। सुनवाई के पश्चात जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ वाद की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान शिकातकर्ता सहित कई लोगों ने लिखित रूप से यह अवगत कराया कि सितम्बर माह का राशन उन्हें दिसम्बर माह में उपलब्ध कराया गया है, लेकिन सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता श्री सुभाष राम का कहना है कि ऐसा कोई लिखित आवेदन उन्होंने नहीं दिया है कि सितम्बर माह का राशन उन्हें उपलब्ध कराया गया है। ऐसे में आयोग जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निदेश देता है कि वे शिकायर्ता के हस्ताक्षर का मिलान कर यह सुनिश्चित कराएँ की कहीं उनके आवेदन में दिया गया आवदेन फर्जी तो नहीं है। ऐसा यदि फर्जी हस्ताक्षर के माध्यम से यह आवेदन दिया गया है तो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी विधि सम्मत कारवाई कराएँ। इस बिच आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि श्री सुभाष राम को अपने कार्यालय बुलाकर उनके शिकायतों का निदान कराएँ। उन्हें जिस अवधि का राशन नहीं मिला है उस अवधि का राशन उन्हें मुआवजा सहित यथा 1.25 गुणा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मामले की अगली सुनवाई के पूर्व आयोग के निर्देश के अनुपालन का प्रमाण जिला आपूर्ति पदाधिकारी उपलब्ध कराएँगे। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–19.04.2023 को निर्धारित की जाती है। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	
D:\Premlata\Court.docx17		

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
19.04.2023	**वाद संख्या–04 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई। इस वाद की ऑडियो कॉल से हुई सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि आयोग के पिछले आदेश का अक्षरशः अनुपालन कर दिया गया है एवं शिकायतकर्ता ने भी अब किसी प्रकार की शिकायत नहीं होने की बात कही है। आयोग के आदेश का अनुपालन हो जाने के कारण आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx60	